

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर— 341001 (राज₀), <u>इ—मेल—rorpcb.nagaur@gmail.com</u>



RPCB/RO NGR/PUB-192/7/89-7203

Date: 29.0125

M/s Sh. Naman Choudhary S/o Sh. Ramesh Choudhary,

Near Transport Company, Kharia Khangar

Tchsil- Bhopalgarh, District- Jodhpur (Raj.) 342604.

Email-

vibranttechnolab@gmail.com & project@vibranttechnolab.com

- Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance for "River Sand (Bajri) Mining Cluster Project (Minor Mineral), (Plot No. 05, M.L. No.-11/2024, Plot No. 09, M.L. No.- 13/2024), Total Cluster Area- 128.6032 Hectare, Applied by River Sand (Bajri) Mining Project M/s Sh. Naman Choudhary S/o Sh. Ramesh Choudhary, Plot No.- 05, M.L. No.- 11/2024, ) Near Revenue Village- Jhintia (Khasra No.- 739,765,868,837) & Village-Suriyas (Khasra No.- 510,511 & 512), Tehsil- Riyanbari, District- Nagaur. Mine Lease Area of 77.80 Hectare, with the Proposed production capacity- 1,50,744 TPA (ROM) {Saleable Mineral- 1,50,744 TPA & Waste- Nil, TPA}."
- Ref.:- 1. Letter no. 550 dated 29.01.2025 issued by the District Collector, Nagaur.
  - 2. This Office letter no.7044 dated 16.01.2025.
  - 3. ToR Issued by SEAC, Rajasthan, File No. RJ/24/SEAC2/MIN/TOR/0658 Dated 09.10.2024.

Sir,

In reference to above it is submitted that in compliance to, District Collector, Nagaur office letter no. 550 dated 29.01.2025 in which public hearing has been finalized on dated 17.03.2025 at 04:00 PM.

Therefore, please find enclosed a public notice to be published in one major national daily newspaper and one regional daily newspaper in any case on or before 15.02.2025 The newspaper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Government Primary School, Suriyas Fhanta, Suriyas, Tehsil-Riyanbari, Distrct-Nagaur At 04:00 PM on 17.03.2025 for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Yours sincerely,

(Sachin Kumar) Regional Officer, Nagaur ok

Copy to following for information & necessary action:-

- 1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
- 2. The District Collector, Nagaur in compliance to your letter no 550 dated 29.01.2025.
- 3. The Sub Divisional Magistrate, Riyanbadi.
- 4. GIC (IT), RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Reciver Copy 10/04/19 10/01/25

Regional Officer, Nagaur O/C

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,

नागौर– 341001 (राज.), <u>इ–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com</u>

क्रमांकः – राप्रनिम / आरओ–नागौर / पी.यू.बी.–192 /7/89-7203



दिनांकः 29.01.25

पर्यावरणीय स्वीकृति नदी रेत (बजरी) (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

- 1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "नदी रेत (बजरी) (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना (Plot No. 05, M.L. No.-11/2024, Plot No. 09, M.L. No.- 13/2024)", कुल प्रस्तावित क्लस्टर क्षेत्र- 128.6032 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 2,55,419.61 TPA(ROM), आवेदक मैसर्स श्री नमन चौधरी पुत्र श्री रमेश चौधरी, Plot No. 05, M.L. No.-11/2024 (ग्राम झिंटिया– Khasra No.- 739,765,868,837 और ग्राम सुरियास– Khasra No.- 510,511 & 512). प्रस्तावित खनन क्षेत्र 77.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1,50,744 TPA (ROM) (बिक्री योग्य खनिज- 1,50,744 TPA, और अपशिष्ट- शून्य), गांव–झिंटिया और सूरियास, तहसील–रियानबड़ी, जिला–नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक नदी रेत (बजरी) (अप्रधान खनिज) क्लस्टर खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
- 2. और चूंकि मैसर्स श्री नमन चौधरी पुत्र श्री रमेश चौधरी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवष्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आषय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
- उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :--
  - 1. जिला कलक्टर, नागौर।
  - 2. CEO जिला परिषद नागौर।
  - राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
  - पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
  - 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
  - उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी।
  - 7. तहसीलदार, रियाबड़ी।
  - 8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
  - 9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
  - 10. ग्राम पंचायत, सुरियास।
  - 11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सुरियास फांटा, सुरियास, तहसील– रियांबड़ी, जिला–नागौर ।
  - 12. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2025/550 दिनांक 29.01.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 17.03.2025 को सायं 04:00 बजे, स्थान– राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सुरियास फांटा, सुरियास, तहसील– रियांवड़ी, जिला–नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप⁄सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला—नागौर को भी दिये जा सकते है।

ਮਰਵੀਧ

(सचिन किुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, नागौर